

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 380/2022

अनवान:-

1. दरियासिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।  
- वादी

**बनाम**

1. अमीलाल पुत्र राजाराम जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र राजाराम जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. कलावती पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
4. जीतराम पुत्र रुघाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. दलीप पुत्र रुघाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. देवीलाल पुत्र रुघाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. बलदेवराज पुत्र रुघाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. मुंशीराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. रामकुमार पुत्र रुघाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. रामी पुत्री रुघाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. शारदा पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
12. सुनीता पत्नी दरियासिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
13. हेतराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा  
53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

- उपस्थिति :-
1. श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता वादीगण
  2. श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 19/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा बिरकाली- बारानी तहसील नोहर के खाता स० 29/29 के प०न० 175/15 के मु०न० 101 के किला न० 16 की 0.1390 हैक्ट, 25 की 0.2530 हैक्ट, प०न० 175/23 के मु०न० 102 के किला न० 12 ता 25 की कुल 2.9220 हैक्ट, प०न० 175/24 के मु०न० 107 के किला न० 1/2 की 0.2270 हैक्ट, 2 ता 4 की 0.7590 हैक्ट, 5 ता 7 की 0.7590 हैक्ट, 8 ता 9 की 0.5060 हैक्ट, 10/2 की 0.2280 हैक्ट, 11/1 की 0.2280 हैक्ट, 12 ता 14 की 0.7590 हैक्ट, 15 ता 17 की 0.7590 हैक्ट, 18 ता 19 की 0.5060 हैक्ट, 20/1 की 0.2270 हैक्ट, 21/1 की 0.1770 हैक्ट, 22/1 की 0.2020 हैक्ट, 23/1 की 0.2020 हैक्ट, 24/1 की 0.2030 हैक्ट, 25/1 की 0.2030 हैक्ट, प०न० 175/31 मु०न० 103 के किला न० 4 की 0.0130 हैक्ट, 5 की 0.1010 हैक्ट, 6 की 0.2530 हैक्ट, 7 की 0.2400 हैक्ट, 8 की 0.1640 हैक्ट, 9 की 0.1010 हैक्ट, 10 की 0.0260 हैक्ट, 11 ता 13 की 0.7590 हैक्ट, 14 ता 16 की 0.7590 हैक्ट, 17 ता 19 की 0.7590 हैक्ट, 20 ता 22 की 0.7590 हैक्ट, 22 ता 23 की 0.7590 हैक्ट, प०न० 175/32 के मु०न० 106 के किला न० 1 से 24/2 की 5.8700 हैक्ट, प०न० 175/38 के मु०न० 70 के किला न० 22 व 23 की 0.0380 हैक्ट, प०न० 175/39 मु०न० 104 के किला न० 1 की 0.2530 हैक्ट, 2 की 0.2530 हैक्ट, 3 की 0.1010 हैक्ट, 8 की 0.0890 है, 9 ता 11 की 0.7590 हैक्ट, 12 की 0.2530 हैक्ट, 13 की 0.1140 हैक्ट, 18 की 0.0890 हैक्ट, 19 ता 23 की 0.7590 हैक्ट, 22 की 0.23530 हैक्ट,

28

सहायक अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)



हैक्ट, 23 की 0.0630 हैक्ट, प0न0 175/40 के मु0न0 105 के किला नन0 1/2 की 0.2280 हैक्ट, 2 की 0.2530 हैक्ट, 3 की 0.0120 है0, 9 की 0.2530 हैक्ट, 10/2 की 0.2270 हैक्ट, 11/2 की 0.2280 हैक्ट, 12 की 0.2280 हैक्ट, 19 की 0.1520 हैक्ट, 20/2 की 0.2280 हैक्ट, प0न0 176/17 मु0न0 155 के किला न0 2 ता 4 की 0.7590 हैक्ट कुल 25.360 हैक्ट भूमि में वादी का 2277/50726 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 8685/50726 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 का 29639/126815, प्रतिवादी स0 3 का 5313/253630 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 727/253630 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 का 28/9755 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6 का 28/9755, प्रतिवादी स0 7 का 727/2153630 हिस्साय, प्रतिवादी स0 8 का 29639/126815 हिस्सा, प्रतिवादी स0 9 का 727/253630 हिस्सा, प्रतिवादी स0 10 का 727/253630 हिस्सा, प्रतिवादी स0 11 का 759/253630 हिस्सा, प्रतिवादी स0 12 का 2277/50726 हिस्सा, प्रतिवादी स0 13 का 25806/126815 हिस्सा भूमि के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि मुश्तरका खाता की भूमि है तथा वाद भूमि को लेकर सीव लगान का झगड़ा रहता है तथा काश्त के संबंध में भी झगड़ा रहता है वाद भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार ही वाद भूमि का खाता व लगान वादी प्रतिवादीगण से अलहदा-अलहदा करवा पाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की उक्त भूमि का मुताबिक बाहमी बंटवारा खाता व लगान अलग से तकसीम करवा ले तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 11 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 11 स्वयं उपस्थित हुए और नही उनकी और से कोई विधिक पेरकार उपस्थित हुआ। प्रतिवादीगण स0 1 ता 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी स0 12 राजपेराकार ने जवाब पेश किया कि वाद का निस्तारण राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए किया जाना उचित है जवाब शामिल पत्रावली किया गया। है। वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वाद भूमि को पक्षकारान के द्वारा मुताबिक बाहमी बंटवारा अपने-अपने अलग अलग काश्त करते आ रहे है अतः मुताबिक बंटवारा के खाता व लगान अलग से कायम किया जावें।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, 8 व 11 ता 13 ने बहस में निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 188/182 के ख0न0 339 की 4.9450 है0 भूमि, ख0न0 348/2 की 1.1760 है0 भूमि कुल 6.1210 है0 भूमि में से वादीया का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 759/24484 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 14315/48968 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 का 759/24448 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी स0 8 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 9 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी स0 10 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी स0 11 का 253/12242 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है। वादी ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा

प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।


अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 29/29 की कुल 25.3630 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. शारदा पत्नी नेतराम जाति जाट सा० असरजाना खातेदार प०न० 176/17(155) 4 (0.253), 175/24 (107) 15/1(0.050) 16(0.253) 25/1(0.203) किता 4 कुल 0.759 हैक्ट बारानी
2. कलावती पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट सा० असरजाना खातेदार प०न० 175/32 (106) 20(0.253) 21/1(0.202) 11/1 (0.076) कुल किता 3 रकबा 0.531 हैक्ट बारानी
3. दरियासिंह पुत्र रामप्रताप सुनिता पत्नी दरियासिंह बहिब जाति जाट सा० ढिलकी जाटान खातेदार 175/24(107) 17-18-19 (0.759) 20/1(0.227) 21/1(0.177) 22/1(0.202) 23/1(0.202) 24/1(0.203) 176/17(155) 2-3(0.506) किता 10 कुल रकबा 2.276 हैक्ट बारानी
4. ओमप्रकाश शिशपाल पि० हेतराम, सन्तोष कृष्णा पुत्रीयान हेतराम बहिब जाति जाट सा० असरजाना खातेदार राहिन रा० मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली मुर्त० प०न० 175/38(70) 22(0.025) 23(0.0130) 175/39(104) 1(0.202) 2(0.253) 3(0.101)8(0.089) 9 ता 12 (0.102) 13 (0.114) 18(0.089) 19 ता 22 (1.012) 23(0.63) 175/32(106) 5-6-15(0.759) 175/40(105) 1/2(0.228) 2(0.253) 3(0.012) 9(0.253) 10/2(0.227) 11/2(0.228) 12(0.228) किता 19 कुल रकबा 5.161 हैक्ट बारानी
5. अमीलाल पुत्र राजाराम जाति खाती सा० असरजाना खातेदार राहिन मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली मुर्त० प०न० 175/24(107) 10/2(0.228) 11/1(0.228) 12ता14(0.759) 15/2(0.203) 175/31(103) 5/1(0.016) 6-15-16-25(1.012) 175/32(106) 7ता10(1.012) 11/2(0.177) 12(0.253) 19(0.253) 22/2(0.202) किता 19 रकबा 4.343 हैक्ट बारानी
6. मुन्सीराम पुत्र राजाराम जाति खाती सा० असरजाना खातेदार 175/24(107) 1/2(0.227) 2ता9 (2.024) 175/32(106) 1ता4(1.012) 14-17(0.506) 16/1(0.196) 24/2(0.203) 175/31(103) 7/2(0.110) 14(0.253) 17-21ता24(1.265) 175/23(102) 25/1(0.132) किता 25 कुल 5.928 हैक्ट बारानी
7. ओमप्रकाश पुत्र राजाराम जाति खाती सा० असरजाना राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली मुर्त० प०न० 175/15(101) 16(0.139) 25(0.253) 175/23(102) 12(0.013) 13(0.076) 14(0.139) 15(0.215) 16ता19(1.012) 20(0.202) 21ता24 (1.012) 25/2(0.121) 175/31(103) 4(0.013) 5/2(0.085) 7/1(0.130) 8(0.164) 9(0.101) 10(0.026) 11ता13 (0.759) 18ता20(0.759) 175/32(106) 13(0.253) 18(0.253) 23/2(0.203) कुल किता 31 कुल रकबा 5.928 हैक्ट बारानी
8. जीतराम दलीप देवीलाल बलदेवराज रामकुमार पि० रूघाराम 5/6 हिस्सा बहिब अमरसिंह कृष्णराम शायरादेवी पुत्री पुत्रीयान रामी पुत्री रूघाराम बहिब 1/6 हिस्सा जाति जाट सा० देह खातेदार प०न० 175/32(106) 16/2(0.057) प०न० 175/40(105) 19(0.152) 20/2(0.228) कुल किता 3 रकबा 0.437 हैक्ट बारानी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में

उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 19.12.28 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 380/2022

अनवान:-

1. दरियासिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।  
- वादी

### बनाम

1. अमीलाल पुत्र राजाराम जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र राजाराम जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. कलावती पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
4. जीतराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. दलीप पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. देवीलाल पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. बलदेवराज पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. मुंशीराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. रामकुमार पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. रामी पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. शारदा पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
12. सुनीता पत्नी दरियासिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
13. हेतराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 380 सन 2022 निर्णय दिनांक...19/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदनमोहन जोशी व वकील प्रतिवादीगण श्री मांगीराम बैनीवाल व पेरोकार राज की उपस्थिति निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, 8, 11 ता 13 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर डिक्री अंतिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 29/29 की कुल 25.3630 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. शारदा पत्नी नेतराम जाति जाट सा० असरजाना खातेदार प०न० 176/17(155) 4 (0.253), 175/24 (107) 15/1(0.050) 16(0.253) 25/1(0.203) कित्ता 4 कुल 0.759 हैक्ट बारानी
2. कलावती पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट सा० असरजाना खातेदार प०न० 175/32 (106) 20(0.0253) 21/1(0.202) 11/1 (0.076) कुल कित्ता 3 रकबा 0.531 हैक्ट बारानी
3. दरियासिंह पुत्र रामप्रताप सुनीता पत्नी दरियासिंह बहिब जाति जाट सा० ढिलकी जाटान खातेदार 175/24(107) 17-18-19 (0.759) 20/1(0.227) 21/1(0.177) 22/1(0.202) 23/1(0.202) 24/1(0.203) 176/17(155) 2-3(0.506) कित्ता 10 कुल रकबा 2.276 हैक्ट बारानी
4. ओमप्रकाश शिशपाल पि० हेतराम, सन्तोष, कृष्णा पुत्रीयान हेतराम बहिब जाति जाट सा० असरजाना खातेदार राहिन रा० मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली मुर्त० प०न० 175/38(70) 22(0.025) 23(0.0130) 175/39(104) 1(0.202) 2(0.253) 3(0.101)8(0.089) 9 ता 12 (0.102) 13 (0.114) 18(0.089) 19 ता 22 (1.012) 23(0.63) 175/32(106) 5-6-15(0.759) 175/40(105)

1/2(0.228) 2(0.253) 3(0.012) 9(0.253) 10/2(0.227) 11/2(0.228) 12(0.228) किता 19 कुल रकबा 5.161 हैक्ट बारानी

5. अमीलाल पुत्र राजाराम जाति खाती सा0 असरजाना खातेदार राहिन मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली मुर्त0 प0न0 175/24(107) 10/2(0.228) 11/1(0.228) 12ता14(0.759) 15/2(0.203) 175/31(103) 5/1(0.016) 6-15-16-25(1.012) 175/32(106) 7ता10(1.012) 11/2(0.177) 12(0.253) 19(0.253) 22/2(0.202) किता 19 रकबा 4.343 हैक्ट बारानी


6. मुन्सीराम पुत्र राजाराम जाति खाती सा0 असरजाना खातेदार 175/24(107) 1/2(0.227) 2ता9 (2.024) 175/32(106) 1ता4(1.012) 14-17(0.506) 16/1(0.196) 24/2(0.203) 175/31(103) 7/2(0.110) 14(0.253) 17-21ता24(1.265) 175/23(102) 25/1(0.132) किता 25 कुल 5.928 हैक्ट बारानी

7. ओमप्रकाश पुत्र राजाराम जाति खाती सा0 असरजाना राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली मुर्त0 प0न0 175/15(101) 16(0.139) 25(0.253) 175/23(102) 12(0.013) 13(0.076) 14(0.139') 15(0.215) 16ता19(1.012) 20(0.202) 21ता24 (1.012) 25/2(0.121) 175/31(103) 4(0.013) 5/2(0.085) 7/1(0.130) 8(0.164) 9(0.101) 10(0.026) 11ता13 (0.759) 18ता20(0.759) 175/32(106) 13(0.253) 18(0.253) 23/2(0.203) कुल किता 31 कुल रकबा 5.928 हैक्ट बारानी

8. जीतराम दलीप देवीलाल बलदेवराज रामकुमार पि0 रूघाराम 5/6 हिस्सा बहिब अमरसिंह कृष्णराम शायरादेवी पुत्री पुत्रीयान रामी पुत्री रूघाराम बहिब 1/6 हिस्सा जाति जाट सा0 देह खातेदार प0न0 175/32(106) 16/2(0.057) प0न0 175/40(105) 19(0.152) 20/2(0.228) कुल किता 3 रकबा 0.437 हैक्ट बारानी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अन्तिम डिक्री आज दिनांक 1.9.11.2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर